

प्रेस नोट –



थाना मोतिगरपुर पुलिस टीम व आबकारी टीम द्वारा दिनांक 05/9/2019 को अवैध 1237 शीशी शराब व वाहन UP 44 AD 7100 के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

संक्षिप्त विवरण ---

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी ,इनामिया घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत श्रीमान क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर महोदय के कुशल मार्ग दर्शन में आज दिनांक 05/9/2019 को थानाध्यक्ष मोतिगरपुर को प्राप्त सूचना के आधार पर मय हमराहीयान व आबकारी निरीक्षक मय हमराहीयान के वाहन UP 44 AD 7100 का पीछा करते हुए एक अभियुक्त को मय अवैध शराब व नगदी के गिरफ्तार किया गया ।

नाम-पता अभियुक्त –

1.संतोष जायसवाल पुत्र जोखू राम निवासी पलिया देवापुर थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर

बरामदगी –

1. 1237 शीशी अवैध अपमिश्रित शराब
2. नगद 48585 रूपये
3. 100 स्टीकर पावर हाउस
4. 99 बार कोड स्टीकर
5. 50 ढक्कन

6. एक अदद आधार कार्ड
7. एक अदद खाली बैग
8. परिवहन में प्रयुक्त वाहन UP 44 AD 7100 सफेद ईको स्पोर्ट

अपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 316/19 धारा 467/468/471/272 भा०द०वि० व 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना मोतिगरपुर जनपद सुलतानपुर
- आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० रतन कुमार शर्मा थानाध्यक्ष मोतिगरपुर सुलतानपुर
2. उ०नि० आनन्द बिहारी सिंह थाना मोतिगरपुर सुलतानपुर
3. हे०का० लालता प्रसाद यादव थाना मोतिगरपुर जनपद सुलतानपुर
4. का वीर सिंह थाना मोतिगरपुर जनपद सुलतानपुर
5. का० अमरजीत थाना मोतिगरपुर जनपद सुलतानपुर

आबकारी टीम –

1. आबकारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह क्षेत्र द्वितीय कादीपुर
2. आबकारी निरीक्षक प्रदीप भारती क्षेत्र तृतीय जयसिंहपुर
3. आबकारी का० विनीत कुमार
4. आबकारी का० नरसिंह तिवारी